

स्वीकृत

आचार्य-पत्रिका

(दिल्ली विश्वविद्यालय, १९५१ का विषय १२९)

पुस्तक का नाम -

विषय -

पुस्तक का क्रमांक - १५

पुस्तक का प्रथम संख्या
वैयक्तिक संख्या

१३-१५

विवरण और पत्राचार करने का दस्तावेज

पुस्तक पर की गई कार्रवाई के बारे में
लिपिकी (रवीन्द्र-सहिब)

3-10-12

अभिलेख उपस्थापित। उक्त पत्र द्वारा
कै.जी. शाखा वाले सेवाला का हिस्सा
अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया है
राजस्व काँटोरी से पुनः जांच परियोजना
की मांग करें।

अंचलप्रमुख
१०/१०

5-4-13

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व काँटोरी
का जांच परियोजना प्राप्त हुआ है कि
खता सं० 167, 168, 227, 216 जमाबंदी
वच्यु यादव के रामानुज यादव रकम
4.85 डी का राजस्व रसीद निगम
है रसीद में किसी का जमाबंदी काम
नहीं है। राम अच्यु यादव जो स्व. रामानुज
यादव का जमाबंदी सं० 301 चल रहा
है।

अतः वच्यु यादव के 29
कुमश. उच्यु यादव के रामभव यादव
का 2.42 1/2 डी का 1/2 हिस्सा बँटकर
जमाबंदी काम का राजस्व रसीद
निगम की अनुमति दी जाती है।

अंचलप्रमुख